बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

वैशाली जिलान्तर्गत बी.पी.एल. और अन्त्योदय के लाभार्थी को सरकारी सुविधा अन्तर्गत मिलने वाली सामाग्रियों में भारी अनियमितता हो रही है। बी.पी.एल. और अन्त्योदय कार्डधारी अपने राशन और किरासन तेल के लिए जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जाते हैं तो उन्हें तरह-तरह के बहाने बनाकर लौटा दिया जाता है। तीन चार महीनें में एक महीनें का राशन और किरासन वितरित किया जाता है। शेष सामग्रियों की कालाबाजारी कर बाजार में बेच दिया जाता है। जिससे गरीब लोग सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।

अत: सरकार से इस गंभीर मामले में यथाशीघ्र जांच कराकर दोषियों को सजा देने के संबंध में सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सुबोध कुमार
स.वि.प.

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-207/2018- 1549 / वि.प.। पटना, दिनांक- 16.07.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ समाज कल्याण विभाग विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 26.07.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

16.07.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

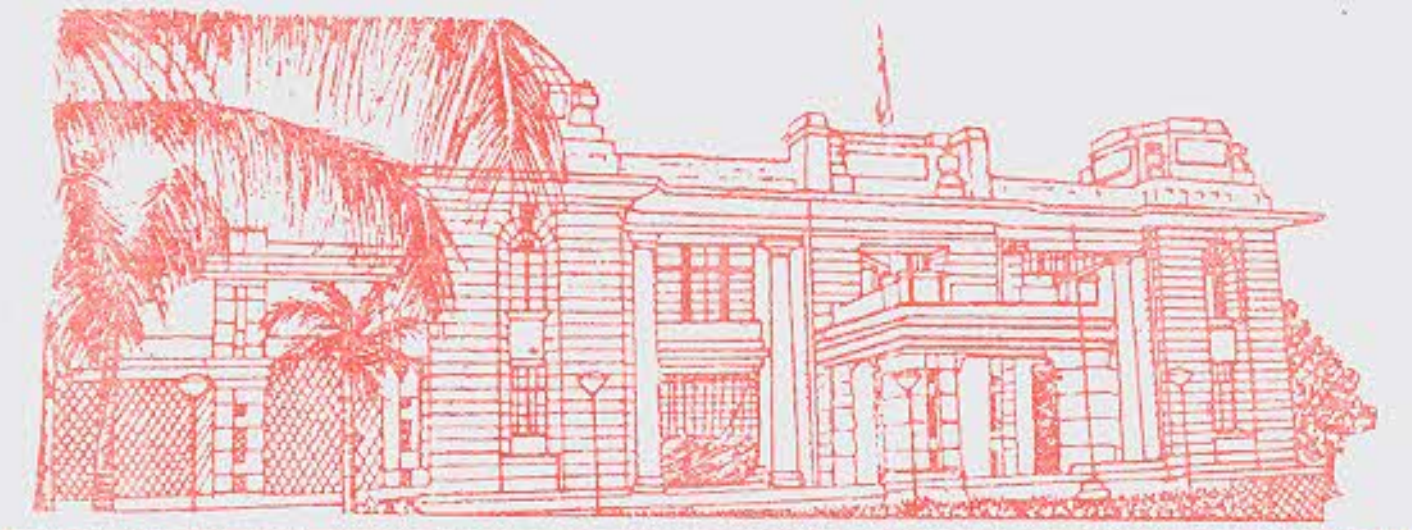

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मुंगेर जिला मुख्यालय स्थित पूर्व स्वीकृत प्रदत्त शिव विद्या मंदिर मध्य विद्यालय, लाल दरवाजा की स्थापना दिनांक– 02.01.1969 को हुई थी। अवर प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक – 329-33 दिनांक– 17.09.2070 के द्वारा इस विद्यालय की प्रस्वीकृति भी प्रदान की गयी। यह विद्यालय प्रारम्भ से ही शिक्षा विभाग की सभी शर्तें पूरी करती है। विद्यालय में सभी संसाधन उपलब्ध है। प्रारम्भ से ही जिला स्तर के शिक्षा पदाधिकारियों ने इस विद्यालय के अधिग्रहण करने की अनुशंसा की है। 01.01.1971 ई0 में अर्हता पूरा करने वाले राज्य के सभी मध्य विद्यालयों का सरकारीकरण कर दिया गया है, किन्तु सभी शर्तों को पूरा करने वाला उक्त विद्यालय जिसकी स्थापना 02.01.1969 ई. को हुई है का अभी तक विभाग द्वारा अधिग्रहण/सरकारीकरण नहीं किया जा सका है। भारत सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव का पत्रांक F.NO-144/2017-EE-11,17 जुलाई 2017 भी अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित है। इसके बावजूद विद्यालय अधिग्रहण की प्रक्रिया शिथिल है। जिससे स्थानीय छात्र, अभिभावकों एवं विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों में क्षोभ व्याप्त है।

अत: मैं सरकार से विभाग के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित साक्ष्यों के आधार पर शिव विद्या मंदिर मध्य विद्यालय लाल दरवाजा, मुंगेर का अधिग्रहण/ सरकारीकरण करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह0/- दिलीप कुमार जायसवाल,स0वि0प0

ह0/- सी0पी0 सिन्हा,स0वि0प0

ह0/- रीना देवी,स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-218/2018- 1571 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 18.07.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/शिक्षा विभाग,बिहार/प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 26.07.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 18.07.2018

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्

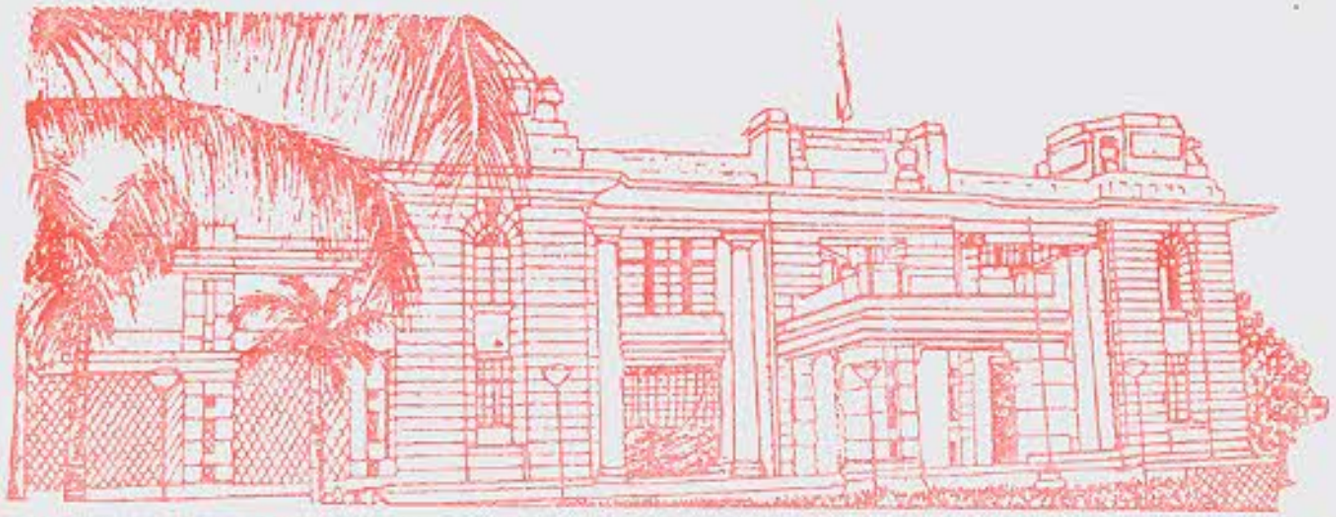

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के मगध विश्वविद्यालय एवं शिक्षा विभाग की कार्यशैली से संबंद्ध डिग्री कॉलेजों के छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। मगध विश्वविद्यालय के सम्बद्ध डिग्री कॉलेजों के संबंधन का दीर्घीकरण एवं स्थायी मान्यता के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव,विभाग को भेजा है। किन्तु बिडंबना है कि विभागीय उदासीनता के कारण अभी तक कॉलेजों का संबंधन प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया जा सका है। कॉलेजों के संबंधन का दीर्घीकरण एवं स्थायी मान्यता के अभाव में मगध विश्वविद्यालय ने बी.ए .,बी.एससी . पार्ट 1-के परीक्षाफल पर रोक लगा दी है। बी.ए .पार्ट 2-एवं बी.ए.पार्ट 3-के छात्र-छात्राओं की परीक्षाएँ ली जा रही थीं, किन्तु उन परीक्षाओं पर भी रोक लगा दी गई है। इस कारण कॉलेजों का देय अनुदान भी बाधित है।

अत: मैं सरकार से छात्रों के हित में संबंधन कॉलेजों को दीर्घीकरण एवं स्थायी मान्यता देने, लंबित परीक्षाफल घोषित करने, एकाएक रोकी गई परीक्षाएं संचालित करने एवं कॉलेजों का देय अनुदान राशि विमुक्त करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- नवल किशोर यादव
स.वि.प.

ज्ञापांक : वि.प.अ.प्र.- 210/2018 - 1548 (1) / वि.प. पटना, दिनांक- 16.07.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग बिहार /शिक्षा विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 26/7/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3 (-).केवल संबंधित विभाग के लिए ।

(नवल किशोर सिंह) 16.07.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के सभी D.EL.ED बिहार सरकार के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं का प्रशिक्षण कार्य जुलाई,2016 में पुरा हो गया और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा परीक्षा फार्म भी भरवाया गया तथा 21.11.2016से 26.11.2016तक परीक्षा आयोजित करने का प्रोग्राम भी निकाला गया, परंतु दिनांक-14.11.2016 को बिना कारण उक्त परीक्षा पर रोक लगा दिया गया। दो वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक उक्त परीक्षार्थियों की परीक्षा अधर में लटकी हुई है। परीक्षा समय पर नहीं लिए जाने के कारण बिहार के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। वे लोग केन्द्र सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों में की जा रही शिक्षक बहाली से भी वंचित हो रहे हैं।

अत: जनहित में राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र-छात्राओं का बिहार विद्यालय परीक्षा से यथाशीध्र परीक्षा कराने हेतु सदन में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- राजेश राम
स.वि .प.

ज्ञापांक :वि.प.अ.प्र/211- 2018- 1552 (1) / वि.प. पटना, दिनांक- 16.07.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 26/7/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

16.07.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् — ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ प्रखण्ड के मौजा फुलवारीशरीफ (टमटम पड़ाव) में लगभग 3.6 डी. रकबा का एक पुराना कब्रिस्तान है जिसका खाता नं0-775 एवं प्लॉट नं0-324, 325, 326, 334, 335, 336 है। इस कब्रिस्तान के लगभग आधे भाग (प्लॉट नं0-324, 325, 326) की घेराबंदी कई वर्ष पूर्व हुई थी। यह घेराबंदी मिटटी भराई के कारण काफी नीचा हो गया है। बाकी कब्रिस्तान का आधा भाग (प्लॉट नं. - 334, 335, 336) घेराबंदी नहीं है। बिना घेराबंदी किए हुए प्लॉट खुला रहने एवं पुराना घेराबंदी नीचा हो जाने के कारण कब्रिस्तान की जमीन पर व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण कर लिया गया है एवं इसकी पवित्रता भंग हो रही है। यह कब्रिस्तान अत्यंत ही संवेदनशील क्षेत्र में आता है।

अत: मैं फुलवारीशरीफ (टमटम पड़ाव) कब्रिस्तान की संवदेनशीलता को देखते हुए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में शामिल करते हुए अतिक्रमण मुक्त कर अविलंब घेराबंदी करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- गुलाम रसूल
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि.प.अ.प्र. - 212/ 2018 - 1551(1) / वि.प. पटना, दिनांक- 16.07.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार /गृह विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 26/7/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 16.07.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

डिग्री महाविद्यालय, शिवहर की स्थापना वर्ष 2017 में ठाकुर रामनन्दन सिंह छात्रावास परिसर, शिवहर में हुई थी। यह एक अंगीभूत महाविद्यालय है। महाविद्यालय के उद्घाटन समारोह में स्थानीय सांसद, अन्य जन प्रतिनिधिगण सहित बाबा साहब भीमराव अंबेदकर बिहार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति भी उपस्थित थे। इस महाविद्यालय में सरकार की अनुमति से 431 बच्चों का नामांकन तथा पंजीयन भी कराया गया। परन्तु सरकार द्वारा इस महाविद्यालय को बंद करने का आदेश निर्गत कर दिया गया है। सरकार के इस आदेश से इस महाविद्यालय में नामांकित बच्चों का भविष्य अधर में चला गया है। यहां पर महाविद्यालय संचालन की सभी आधारभूत संरचना उपलब्ध है। एवं अन्य चीजों के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार एवं विश्वविद्यालय का इसमें हर संभव मदद भी मिल रहा था, परन्तु एकाएक सरकार द्वारा इस महाविद्यालय को बंद किए जाने के निर्णय लेने से स्थानीय जनता खासकर उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित युवकों में आक्रोश एवं क्षोभ व्याप्त है।

अत: डिग्री महाविद्यालय, शिवहर में पूर्व की भांति पढ़ाई आरंभ करने संबंधी आदेश निर्गत करने के संबंध में सदन में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- देवेश चन्द्र ठाकुर, स.वि.प. एवं
ह./- दिलीप राय, स.वि.प.

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-209/2018 – 1550 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 16.07.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 26.07.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 16.07.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

स्वर्गीय बसिन्द्र दत्त पाण्डेय, ग्राम+पोस्ट-मड़कन, थाना-हुसेनगंज, जिला-सीवान, जवान संख्या–एस.बी. 8137/1989 गृह रक्षा वाहिनी, सीवान जिला कारागार में प्रतिनियुक्त थे। दिनांक-19.12.2017 को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। अभी तक उनकी पत्नी को अनुग्रह अनुदान और उनके बड़े पुत्र अविनाश कुमार पाण्डेय को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं मिल सकी है।

अत: उनकी पत्नी को अनुग्रह अनुदान और उनके बड़े पुत्र अविनाश कुमार पाण्डेय को अनुकंपा के आधार पर अविलम्ब नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- केदार नाथ पाण्डेय
स.वि.प.

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-208/2018- 1547 /वि.प.। पटना, दिनांक-16.07.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विभाग विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवँ आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 26.07.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

16.07.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बांका जिला जो झारखंड (संथाल परगना) का सीमा क्षेत्र है। झारखंड से प्रतिदिन लगभग दो हजार बड़ी-बड़ी ट्रकें, हाईवा, छड़ी, बालू, मेटल आदि नियम विरूद्ध ओभरलोडेड गाड़ियों को लेकर बिहार के कई जिलों में प्रवेश करती है। इन सभी ओभरलोडेड गाड़ियों को पास कराने वाले गई गिरोह सक्रिय हैं। जो प्रत्येक ओभरलोडेड गाड़ियों से चार-पांच हजार रूपये की वसूली कर गाडियों को पास कराने का कार्य करते हैं। इस कार्य में स्थानीय विभागीय पदाधिकारियों की संलिप्तता रहती है।

ज्ञात हो कि ओभरलोडेड गाड़ियों के परिचालन के कारण मुख्य सड़कें क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। दूसरी तरफ नियम विरूद्ध तरीके से प्रवेश करने के कारण सरकार को काफी राजस्व की हानि हो रही है।

अत: झारखंड (संथाल परगना) सीमा क्षेत्र से बांका जिला से गुजरने वाले ओभरलोडेड गाड़ियों को पासिंग के नाम हो रही अवैध वसूली पर रोक लगाने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- मनोज यादव
स.वि.प.

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-221/2018- 1588 /वि.प.। पटना, दिनांक-20.07.2018

प्रतिलिपि:- 'बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ परिवहन विभाग विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 26.07.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

20.07.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

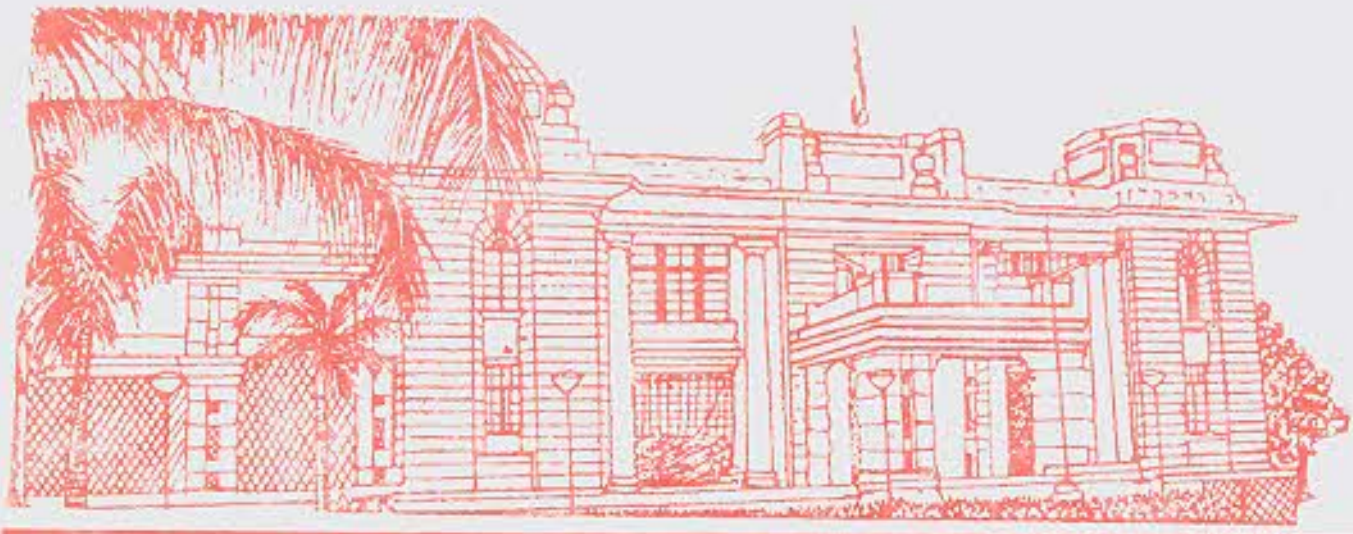

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

232 वर्ष पूर्व निर्मित गोलघर पटना की पहचान है। इसे वर्ष 1979 में पुरातत्व स्थल के रूप में मान्यता मिली। प्रदेश भर से पटना आने वाले सैलानियों की इच्छा होती है कि इसके गुंबद पर चढ़कर पटना का विहंगम दृश्य को देखें और उस अनुभूति को दिलो-दिमाग में संजोएं। गोलघर का जीर्णोद्धार लगभग सात वर्षों से हो रहा है, इसके कारण इसकी सीढ़ियों को भी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण पटना आने वाले सैलानियों को निराशा होती है।

अत: पटना स्थित गोलघर का जीर्णोद्धार शीघ्र कराने एवं इसके गुंबद पर चढ़ने हेतु सीढ़ियों को अतिशीघ्र खोलवाने हेतु सदन में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं।

ह./- रीना देवी
स.वि.प.

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-229/2018- 1594 /वि.प.। पटना, दिनांक-23.07.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग विभाग,बिहार/ पर्यटन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 26.07.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 23.07.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

दरभंगा से सहरसा के लिये बने हुए सड़क के बीच सैकड़ों के लागत से निर्मित बलुआहा घाट पुल आज तक पहुंच पथ से संलग्न नहीं हो सका है, फलत: अब तक उस पर से यातायात की व्यवस्था शुरू नहीं किया जा सका है। ज्ञातव्य हो कि यह क्षेत्र वैसे भी काफी पिछड़ा क्षेत्र है जहां विकास की किरण काफी कम पहुंची है। सरकार की घोषणा के अनुसार उक्त यातायात के शुरू होने से पटना एवं सहरसा के बीच आवागमन में 68 कि.मी. दूरी कम हो जायेगी। विदित हो कि सरकार का निश्चय है कि बिहार के किसी भी जिला से पटना आगमन में ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटा लगे, ऐसी व्यवस्था की जानी है।

डूमरी पुल भी क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण सहरसा जाने का एक मात्र विकल्प मुजफ्फरपुर-दरभंगा फोर लेन है।

अत: उक्त वर्णित स्थिति के आलोक में बलुआहा घाट पुल के रास्ते यातायात शुरू करने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- ललन कुमार सर्राफ

स.वि.प.

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-230/2018- 1595 /वि.प.। पटना, दिनांक-23.07.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 26.07.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

23.07.2018

(नवल किशोर सिंह)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

दैनिक समाचार-पत्र के अनुसार, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) द्वारा नियमों की अनदेखी किये जाने से स्नातक में प्रवेश लेने वाले हजारों छात्र-छात्राएं, पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कॉलेजों में भटक रहे हैं। छात्रों के नामांकन लिस्ट (सूची) में बोर्ड प्रशासन के नियम के विपरीत 45 प्रतिशत से कम अंक वाले विषय में ऑनर्स के लिए सूची प्रकाशित की है, जिसे कॉलेज प्रशासन, नियमों का हवाला देकर, ऐसे छात्रों को वापस लौटा दे रहे हैं। बिहार बोर्ड लगातार झूठे स्पष्टीकरण दे रहा है। झूठे विज्ञापन के द्वारा बोर्ड के अफसर, बिहार सरकार की पारदर्शी शासन-व्यवस्था का मखौल उड़ा रहे हैं और करीब 20 लाख रुपये, जनता की गाढ़ी कमाई का खर्च कर, अफसर सिर्फ अपनी गलतियां छुपाने में लगे हैं।

अत: मैं सरकार से उक्त विषय पर सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- नवल किशोर यादव
स.वि.प.

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-232/2018- 1596 /वि.प.। पटना, दिनांक-23.07.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 26.07.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

23.07.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्